# उत्तर प्रदेश शासन
## संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2

संख्या–क0नि0–2–697 / ग्यारह–9(258) / 08–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(115)–2014
दिनांकः 10 जुलाई, 2014

## अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि दिनांक 11 जुलाई, 2014 से सर्वश्री मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजिटेबिल (प्रा0) लि0, गाजियाबाद द्वारा नियुक्त बूथ कन्शेसनरीज द्वारा प्रान्त के भीतर की गई माल की बिक्री के आवर्त पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन कोई कर संदेय नहीं होगाः–

## शर्तें

(1) बूथ कन्शेसनरीज उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 के अधीन पंजीकृत हो तथा उनके द्वारा सर्वश्री मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजिटेबिल प्रा0 लि0, गाजियाबाद से खरीदे गये माल की बिक्री की जायेगी।

(2) बूथ कन्शेसनरीज द्वारा टैक्स इनवायस जारी नहीं किया जायेगा और न ही कर वसूला जायेगा।बूथ कन्शेसनरीज को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(3) बूथ कन्शेसनरीज द्वारा अधिकतम फुटकर मूल्य (एम0आर0पी0) से अधिक मूल्य पर माल की बिक्री नहीं की जायेगी।

(4) बूथ कन्शेसनरीज द्वारा नियमानुसार कर विवरणी दाखिल की जायेगी तथा कर विवरणी के साथ माल के अधिकतम फुटकर मूल्य (एम0आर0पी0) पर कर का भुगतान किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र कमिश्नर द्वारा यथा निर्धारित प्रपत्र में सर्वश्री मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजिटेबिल प्रा0 लि0, गाजियाबाद से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जायेगा।

आज्ञा से,

10-7-2014

(एस0एन0 प्रसाद)
सचिव।